27

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल

प्र0क्र0......................../17

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/3350

बसंत कुमार आ0 स्व0श्री हरीदास उदासी
निवासी–उदासी की बगिया, तिलक चौक,
विदिशा जिला विदिशा (म0प्र0)––– **निगरानीकर्ता**

विरूद्ध

श्याम लाल आ0श्री हरीराम उर्फ हरिया
निवासी–ग्राम उदयपुर, तह0 गंजबासौदा,
जिला विदिशा (म0प्र0) ––– **प्रतिनिगरानीकर्ता**

म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा–50 के अंतर्गत निगरानी

महोदय,

निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान राजस्व निरीक्षक उदयपुर जिला विदिशा के प्र0क्र0–40/अ–12/16–17 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2017 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर यह निगरानी समयावधि प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के तथ्य

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिनिगरानीकर्ता ने खसरा क्र0–446 रकबा 1.045 हे0 भूमि के सीमांकन के लिये आवेदन पेश किया गया। जिस भूमि के सीमांकन का आवेदन पेश किया गया, उस भूमि पर अतिरिक्त न्यायालय वर्ग–एक व्यवहार न्यायाधीश बासौदा के समक्ष कब्जा वापसी का प्रकरण पेश किया गाय। उस भूमि पर प्र0क्र0–140ए/13 में आदेश दिनांक 01.10.2013 को कब्जा वापसी का आवेदन निरस्त किया गया। इसके बाद भी राजस्व निरीक्षक ने सूचना पत्र दिये बिना ही सीमांकन की कार्यवाही की गई।

निरंतर...2...

विवरण प्रस्तुत करते हुये किसी साक्षर व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित कि

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/3350

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री जगदीश जैन उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	